हिंदी दैनिक खबर

हर पल, हमारी खबर

केशववाणी

अनमोल वचन

शिक्षा सबसे शक्तिशाली हथियार है जिसे आप दुनिया को बदलने के लिए उपयोग कर सकते हैं।

मंगलवार 17 फ़रवरी 2026 वर्ष 02 अंक 142 पृष्ठ 4 www.keshavtv24.com Email:keshavtvbihar@gmail.com

बिहार में एथलेटिक्स को मिलेगा नया आयाम: 400 मीटर के लिए बनेगी अत्याधुनिक अकादमी, वैज्ञानिक प्रतिभा पहचान अभियान को मिली मंजूरी

केशववाणी पटना, बिहार। पोर्टब्लेयर में आयोजित एथलेटिक्स फेडरेशन ऑफ इंडिया (।थ्) की एग्जीक्यूटिव कमेटी की महत्वपूर्ण बैठक में बिहार में एथलेटिक्स के विकास को लेकर कई अहम निर्णय लिए गए। इन फैसलों को राज्य में खेल प्रतिभाओं के लिए नई संभा. वनाओं का द्वार खोलने वाला माना जा रहा है। बैठक में शामिल होने पहुंचे बिहार राज्य खेल प्राधिकरण के महानिदेशक सह मुख्य कार्यकारी अधिकारी श्री रवीन्द्रण शंकरण ने बताया कि बिहार में एथलेटिक्स के विकास और प्रतिभा संवर्धन को व्यवस्थित रूप से आगे बढ़ाने के लिए ठोस रणनीति पर सहमति बनी है।

400 मीटर के लिए बनेगी अत्याधुनिक अकादमी

बैठक में विशेष रूप से 400 मीटर दौड़ के लिए बिहार में एक अत्याधुनिक एथलेटिक्स अकादमी स्थापित करने पर सैद्धांतिक सहमति दी गई। इस संबंध में फेडरेशन शीघ्र ही विस्तृत प्रस्ताव बिहार राज्य खेल प्राधिकरण को भेजेगा। यह अकादमी राज्य के उभरते धावकों के लिए उच्च चस्तरीय प्रशिक्षण का केंद्र बनेगी और उन्हें राष्ट्रीय व अंतरराष्ट्रीय स्तर पर प्रतिस्पर्धा के लिए तैयार करेगी।

अंजू बॉबी जॉर्ज की अध्यक्षता में बनेगी समिति

राज्य में एथलेटिक्स प्रतिभाओं की पहचान को वैज्ञानिक एवं व्यवस्थित आधार देने के उद्देश्य से एक उच्चस्तरीय समिति गठित करने का निर्णय लिया गया। इस समिति की अध्यक्षता अंतरराष्ट्रीय ख्याति प्राप्त एथलीट अंजू बॉबी जॉर्ज करेंगी। समिति बिहार राज्य खेल प्राधिकरण के पास उपलब्ध खिलाड़ियों के आंकड़ों का विश्लेषण कर संभावनाशील प्रतिभ. ाओं का चयन करेगी।

कोच विकास कार्यक्रम पर जोर

बैठक में प्रशिक्षण व्यवस्था को सुदृढ़ करने पर भी विशेष बल दिया गया। राज्य की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए 'स्टेट स्पेसिफिक कोच डेवलपमेंट प्रोग्राम' संचालित करने का निर्णय लिया गया है। इससे स्थानीय प्रशिक्षकों की क्षमता में वृद्धि होगी और खिलाड़ियों को बेहतर तकनीकी मार्गदर्शन मिल सकेगा।

जमीनी स्तर पर चलेगा प्रतिभा पहचान अभियान

एथलेटिक्स फेडरेशन ऑफ इंडिया ने यह भी सहमति दी कि वह बिहार राज्य खेल प्राधिकरण द्वारा चिन्हित क्षेत्रों में अपने विशेषज्ञों की टीम भेजेगा। ये टीमें जमीनी स्तर पर प्रतिभा पहचान अभियान चलाकर ग्रामीण एवं दूरस्थ क्षेत्रों में छिपी प्रतिभाओं को सामने लाने का कार्य करेंगी।

पोर्टब्लेयर में लिए गए इन निर्णयों को बिहार में एथलेटिक्स के विकास की दिशा में एक महत्वपूर्ण उप. लब्धि माना जा रहा है। इससे राज्य के खिलाड़ियों को राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय मंच पर बेहतर अवसर मिलने की उम्मीद जताई जा रही है।

मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना के तहत 25 लाख महिलाओं को 2500 करोड़ की सहायता राशि हस्तांतरित

नालंदा की 65,662 महिलाओं को मिली स्वीकृति

केशववाणी शंकर कुमार सिन्हा की रिपोर्ट। बिहारशरीफ (नालंदा) — माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के करकमलों द्वारा मुख्यमंत्री महिला रा. `जगार योजना के अंतर्गत राज्य की 25 लाख महिला लाभुकों को ₹10,000 प्रति लाभुक की दर से कुल ₹2500 करोड़ की राशि अंतरण कार्यक्रम का सीधा प्रसारण हरदेव भवन सभागार, बिहारशरीफ में आयोजित किया गया। इस योजना के तहत राज्य के प्रत्येक परिवार की एक महिला को स्वरोजगार प्रारंभ करने के लिए आर्थिक सहायता प्रदान की जा रही है। सभी समुदाय एवं वर्ग की महिलाएं इस योजना का लाभ ले सकती हैं।

प्रारंभिक सहायता ₹10,000, आगे ₹2 लाख तक का प्रावधान

महिलाओं को अपनी पसंद का रोजगार शुरू करने के लिए प्रारंभिक रूप से ₹10,000 की राशि उपलब्ध कराई जा रही है। इसके बाद व्यवसाय की प्रगति के आकलन के आधार पर ₹2 लाख तक की अतिरिक्त वित्तीय सहायता का प्रावधान है। योजना के अंतर्गत चयनित रोजगार के लिए प्रशिक्षण की भी समुचित व्यवस्था की गई है। स्वयं सहायता समूह से जोड़ा जाएगा यह योजना सामुदायिक सहकारिता आधारित है। लाभुक म. हिलाओं को पहले स्थानीय स्वयं सहायता समूह से जोड़ा जाएगा। रोजगार के चयन, प्रशिक्षण और व्यवसाय प्रारंभ करने में समूहों के माध्यम से सहयोग दिया जाएगा। इसके अतिरिक्त, उत्पादन में सहयोग तथा महिलाओं द्वारा निर्मित उत्पादों की बिक्री सुनिश्चित करने के लिए गांव से शहर तक हाट—बाजार विकसित किए जाएंगे, जिससे उन्हें बाजार उपलब्ध हो सके।

आत्मनिर्भरता की ओर मजबूत कदम

योजना का मुख्य उद्देश्य महिलाओं को रोजगार एवं उद्यमिता के माध्यम से आत्मनिर्भर बनाना है। स्वावलंबन पर केंद्रित इस पहल से राज्य की अर्थव्यवस्था को भी मजबूती मिलने की उम्मीद है।

नालंदा जिले में 65,662 महिलाओं को लाभ

नालंदा जिले में कुल 65,662 महिलाओं के खाते में ₹65,66,20,000 की राशि हस्तांतरित किए जाने की अनुशंसा की गई है। इस अवसर पर जिला पदाधिकारी नालंदा, उप विकास आयुक्त, जीविका के जिला परियोजना प्रबंधक, संचार प्रबंधक, जिला जनसंपर्क पदाधिकारी, आईटी मैनेजर सहित बड़ी संख्या में जीविका दीदी एवं अन्य जीविका कर्मी उपस्थित रहे।

शारीरिक शिक्षक की टैगिंग से जमीनी स्तर पर खेल गतिविधियों को मिलेगी नई गति

केशववाणी पटना, बिहार। खेल विभाग के सचिव श्री महेंद्र कुमार ने आज विभागीय कार्यों की व्यापक समीक्षा करते हुए राज्य में खेल गतिविधियों को जमीनी स्तर पर सशक्त बनाने के लिए शारीरिक शिक्षकों की प्रभावी टैगिंग को सर्वोच्च प्राथमिकता देने का निर्देश दिया। सचिव ने स्पष्ट किया कि खेल अवसंरचना और योजनाओं का वास्तविक लाभ तभी मिलेगा, जब प्रशिक्षित मानव संसाधन सीधे खिलाड़ियों और स्थानीय खेल क्लबों से जुड़कर नियमित गतिविधियों को संचालित करें।निर्णय लिया गया कि प्रत्येक ग्राम पंचायत एवं नगर पंचायत में निर्वाचित खेल क्लबों के साथ निकटवर्ती शारीरिक शिक्षा प्रशिक्षकों, जो सरकारी तंत्र का हिस्सा हैं, को व्यवस्थित रूप से टैग किया जाएगा। इसका उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि स्थानीय स्तर पर खिलाड़ियों को नियमित मार्गदर्शन, प्रशिक्षण और निगरानी उपलब्ध हो। इसी प्रकार, खेल विभाग के अंतर्गत आने वाले जिला खेल भवनों, पंचायत स्तरीय खेल मैदानों तथा प्रखंड स्तरीय आउटडोर स्टेडियमों से भी सरकारी प्रशिक्षकों को निकटता के आधार पर जोड़ा जाएगा, ताकि इन परिसरों में खेल एवं फिटनेस गतिविधियाँ निरंतर और सुव्यवस्थित रूप से संचालित हो सकें। सचिव ने कहा कि यह पहल खेल संसाधनों के बेहतर उपयोग और खिलाड़ियों की पहचान एवं पोषण की दिशा में महत्वपूर्ण कदम सिद्ध होगी।

बैठक में जिला स्तरीय सेंटर ऑफ एक्सीलेंस के सक्रियण की भी समीक्षा की गई। सभी जिला खेल पदाधिकारियों द्वारा भेजी गई निरीक्षण रिपोर्ट के आधार पर 4–5 सेंटर ऑफ एक्सीलेंस को तत्काल प्रभाव से प्रारंभ किया जाएगा। इन केंद्रों में खिलाड़ियों के लिए आवास, प्रशिक्षण और आवश्यक सुविधाओं की व्यवस्था सुनिश्चित की जाएगी तथा प्रत्येक केंद्र को एक विशिष्ट खेल विधा के लिए विकसित किया जाएगा।

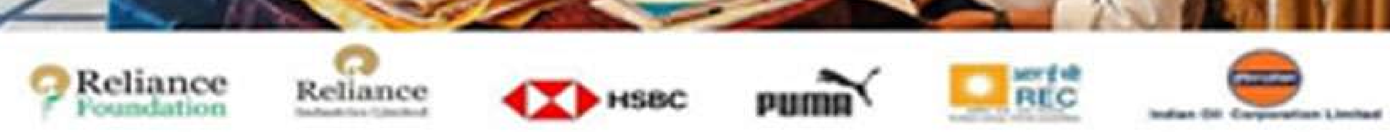

इसके अतिरिक्त, सरकार द्वारा संचालित एकलव्य केंद्रों की तर्ज पर कार्य कर रहे निजी संस्थानों को भी प्रोत्साहित करने का निर्णय लिया गया। इनके प्रत्यायन के लिए खेल विभाग द्वारा विस्तृत दिशा–निर्देश तैयार किए जाएंगे, जिससे गुणवत्तापूर्ण प्रशिक्षण व्यवस्था को बढ़ावा मिल सके।साथ ही, खेल संस्कृति को व्यापक स्तर पर बढ़ावा देने के उद्देश्य से राजगीर और वाल्मीकिनगर में प्रत्येक वर्ष मार्च और नवंबर माह में दो अर्ध–मैराथन आयोजित किए जाएंगे। इस वर्ष नवंबर माह में आयोजित होने वाली अर्ध–मैराथन इस श्रृंखला की पहली कड़ी होगी।सचिव महेंद्र कुमार ने विश्वास व्यक्त किया कि प्रशिक्षकों की प्रभावी टैगिंग और संसाधनों के सुव्यवस्थित उपयोग से राज्य में खेल गतिविधियों को नई दिशा और गति प्राप्त होगी।

बिहार में खुले में मांस-मछली बिक्री पर पूर्ण प्रतिबंध, अब केवल लाइसेंसधारी दुकानों को ही संचालन की अनुमति

केशववाणी , पटना। बिहार सरकार ने शहरी क्षेत्रों में खुले में मांस और मछली की बिक्री पर पूर्ण प्रतिबंध लगाने का निर्णय लिया है। अब केवल वैध ला. इसेंस प्राप्त दुकानदार ही मांस–मछली की दुकान संचालित कर सकेंगे। बिना लाइसेंस दुकान लगाने या खुले में बिक्री करने वालों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी।

इस संबंध में घोषणा राज्य के उपमुख्यमंत्री एवं नगर विकास एवं आवास मंत्री विजय कुमार सिन्हा ने सोमवार को विधान परिषद के बजट सत्र के दौरान की। उन्होंने कहा कि यह निर्णय जनस्वास्थ्य, स्वच्छता और जनभावनाओं को ध्यान में रखते हुए लिया गया है।

सभी नगर निकाय क्षेत्रों में लागू होगी व्यवस्था

सरकार के निर्देशानुसार यह आदेश राज्य के सभी नगर निगम, नगर परिषद एवं नगर पंचायत क्षेत्रों में प्रभावी होगा। नगर निकाय अधिनियम की धारा 345 के तहत मीट शॉप संचालन के लिए लाइसेंस अनिवार्य कर दिया गया है। नए दिशा–निर्देशों के अनुसार खुले में मांस एवं मछली की बिक्री पूरी तरह प्रतिबंधित रहेगी।

दुकानों को स्वच्छ, ढंके हुए और निध. ारित मानकों के अनुरूप स्थान पर संचा. लित करना होगा। नगर निकायों द्वारा नियमित निरीक्षण किया जाएगा ताकि स्वच्छता मानकों का पालन सुनिश्चित हो सके।

जनसंवाद के बाद लिया गया निर्णय

सूत्रों के अनुसार हाल ही में दरभंगा में आयोजित जनसंवाद कार्यक्रम के दौरान विभिन्न वर्गों के लोगों ने खुले में मांस बिक्री पर रोक लगाने की मांग की थी।

इसके बाद राज्य सरकार ने सभी जिला प्रशासन एवं नगर निकायों को आवश्यक दिशा–निर्देश जारी किए।

जांच अभियान और दंडात्मक कार्रवाई

सरकार ने प्रशासन को निर्देश दिया है कि शहरों में संचालित सभी मांस–मछली दुकानों की जांच की जाए। वैध लाइसेंसधारी दुकानों को नियमों के अनुरूप संचालन की अनुमति दी जाएगी, जबकि बिना ला. इसेंस संचालित दुकानों को बंद कराया जाएगा। नियमों का उल्लंघन करने वालों पर जुर्माना एवं अन्य दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी।

उपमुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा ने कहा कि खुले में मांस बिक्री से गंदगी और संक्रमण फैलने का खतरा बढ़ता है। इसलिए सरकार ने स्वच्छता मानकों को सख्ती से लागू करने का निर्णय लिया है। उन्होंने स्पष्ट किया कि ऐसी व्यवस्था विकसित की जाएगी जिससे सार्वजनिक स्वास्थ्य सुरक्षित रहे और किसी की भावनाएं आहत न हों।

उत्तरप्रदेश मॉडल की तर्ज पर कदम

राजनीतिक हलकों में इस निर्णय को उत्तर प्रदेश में लागू व्यवस्था की तर्ज पर उठाया गया कदम माना जा रहा है, जहां मांस दुकानों के लाइसेंस और स्वच्छता मानकों को कड़ाई से लागू किया गया है।

नगर निकायों द्वारा लाइसेंस प्रक्रिया को सुव्यवस्थित करने एवं दुकानदारों को नए मानकों की जानकारी देने की तैयारी की जा रही है। प्रशासन ने आम नागरिकों से अपील की है कि वे नियमों का पालन करें और स्वच्छ वातावरण बनाए रखने में सहयोग करें। सरकार का कहना है कि यह निर्णय जनहित में लिया गया है और इसका उद्देश्य शहरी क्षेत्रों में स्वच्छता व्यवस्था को और सुदृढ़ करना है।

समयबद्धता, पारदर्शिता और जवाबदेही के साथ कार्य करें कर्मी : प्रो सुनीता सिन्हा

नालंदा कॉलेज में शिक्षकेतर कर्मियों की बैठक संपन्न

केशववाणी अमर वर्मा की रिपोर्ट बिहारशरीफ (नालंदा)। नालंदा कॉलेज की प्राचार्य प्रो. सुनीता सिन्हा की अध्यक्षता में सोमवार को महाविद्यालय के शिक्षकेतर कर्मियों की एक महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई।

कर्मियों को संबोधित करते हुए प्राचार्य प्रो. सुनीता सिन्हा ने शिक्षकेतर कर्मियों की भूमिका को महाविद्यालय की आधारशिला बताते हुए कहा कि किसी भी शैक्षणिक संस्थान की कार्यकुशलता उसके कार्यालयीन तंत्र की दक्षता पर निर्भर करती है। उन्होंने सभी कर्मियों से समयबद्धता, पारदर्शिता और जवाबदेही के साथ कार्य करने का आग्रह करते हुए टीम भावना के साथ कार्य करने और महाविद्यालय की गरिमा एवं उत्कृष्टता को बनाए रखने का आह्वान किया।

संतोष कुमार, विनय कुमार, अंजनी कुमार, कमलेश कुमार सहित अनेक शिक्षकेतर कर्मियों ने कार्य विभाजन की स्पष्टता, तकनीकी प्रशिक्षण तथा कार्यस्थल पर आधारभूत सुविधाओं के सुदृढ़ीकरण से जुड़े मुद्दे की ओर प्राचार्य का ध्यान आकृष्ट किया। प्राचार्य ने सभी सुझावों को गंभीरता से लेते हुए यथाशीघ्र आवश्यक कदम उठाने का आश्वासन देते हुए कहा कि नामांकन प्रक्रिया, छात्रवृत्ति वितरण, परीक्षा संबंधी तैयारियों, वेतन एवं पेंशन प्रकरणों के निष्पादन तथा लंबित फाइलों के शीघ्र निष्पादन किए जाएं ताकि विद्यार्थियों और अभिभ. ावकों को अनावश्यक परेशानी का सामना न करना पड़े। अंत में प्राचार्य प्रो. सुनीता सिन्हा ने सभी कर्मियों को नए वर्ष की डायरी और कैलेंडर भेंट किए।

नालंदा की विरासत

गाय की पूंछ पकड़कर वैतरणी नदी पार होने से मिलती है मोक्ष, मलमास मेला में बढ़ जाता है इस नदी तट का महत्व

वैतरणी नदी घाट — यहां पर मेला में पिण्ड दान करने भी आते हैं लोग

अनुमंडल संवाददाता, राजगीर राजीव लोचन की रिपोर्ट। केशववाणी

राजगीर (नालंदा)। सनातन धर्म का प्रसिद्ध ऐतिहासिक मलमास मेला इस साल लगने वाला है। मलमास मेला में राजगीर में लाखों की संख्या में श्रद्धालु देश के कोने–कोने से आते हैं। इस दौरान यहां के कुंडों में लोग स्नान करते हैं। ऐसी मान्यता है कि यहां पर कुंडों में स्नान करने से सभी धामों के बराबर का फल मिलता है। भवसागर को पार करने के लिए देश व विदेशों से काफी संख्या में श्रद्धालु वैतरणी नदी घाट पर आते हैं।

ऐसी मान्यता है कि इस नदी को जो लोग गाय की पूंछ पकड़कर पार करता है उसे मोक्ष की प्राप्ति होती है। साथ ही इस मेले के पवित्र माह में यहां पर पिण्ड दान भी किया जाता है। इस साल भी मेलें में भवसागर को पार करने की मंशा लिए सैंकड़ों श्रद्धालु राजगीर आयेंगे।

लोगों ने बताया कि जब से नदी का सौंदर्यीकरण हुआ तब से यह नदी घाट का पानी जम गया है। नदी में पत्थर देकर उसकी सोई को बंद कर दिया गया है।

वैतरणी नदी घाट राजगीर

नदी तट के आगे बांध बना दिया गया है। इस कारण पानी आगे नहीं निकल पाता। पहले नदी के तल में पत्थर नहीं था। वहां पर मिट्टी थी। उससे सोई निकलती थी जिससे सालों पानी रहता था। लोग सालों भर इसमें स्नान करते थे। वहीं बारिश होने पर जंगल से पानी आता था, जो कि किसानों के खेतों में पटवन के लिए जाता था।

लोगों ने बताया कि अब यह नदी घाट एक शोभा बनकर रह गयी है। मेला के समय या फिर छठ के समय ही इसकी सफाई हो पाती है। लोगों ने कहा कि नदी को अब नाला के समान ही बना दिया गया है।

नदी तट से पत्थर को हटा दिया जाय और इसका पहुंच लोगों तक सुलभ कर दिया जाय तो यह नदी घाट पर्यटकों के लिए आकर्षण का केन्द्र बन सकता है।

साप्ताहिक समन्वय बैठक में विकास योजनाओं की समीक्षा, सबका सम्मान–जीवन आसान' के प्रभावी क्रियान्वयन और मलमास मेला–2026 की तैयारियों पर जोर

केशववाणी । शंकर कुमार सिन्हा की रिपोर्ट बिहार शरीफ (नालंदा)। जिला पदाधिकारी नालंदा कुंदन कुमार की अध्यक्षता में सोमवार को जिला, अनुमंडल एवं प्रखंड स्तरीय तकनीकी एवं गैर–तकनीकी पदाधिकारियों के साथ साप्ताहिक समन्वय समीक्षा बैठक आयोजित की गई। बैठक में विभिन्न विकास योजनाओं, सड़क निर्माण कार्यों तथा मलमास मेला–2026 की पूर्व तैयारियों की समीक्षा करते हुए संबंधित अधिकारियों को आवश्यक दिशा–निर्देश दिए गए। बैठक में विशेष रूप से बिहार सरकार के सात निश्चय–3 के सातवें निश्चय 'सबका सम्मान–जीवन आसान' (Ease of Living) के प्रभावी क्रियान्वयन पर चर्चा की गई। जिलाधिकारी ने कहा कि इस पहल का मुख्य उद्देश्य आम नागरिकों के दैनिक जीवन में आने वाली कठिनाइयों को कम कर प्रशासनिक व्यवस्था को अधिक संवेदनशील, जवाबदेह और सुदृढ़ बनाना है।

आमजनों की शिकायतों के त्वरित निस्तारण के निर्देश

जिलाधिकारी ने निर्देश दिया कि प्रत्येक सप्ताह सोमवार एवं शुक्रवार को ग्राम पंचायत, थाना, अंचल, प्रखंड, अनुमंडल एवं जिला स्तर के सभी सरकारी कार्यालयों में संबंधित पदाधिकारी अपने कार्यालय कक्ष में उपस्थित रहकर आमजनों से मिलेंगे। यदि किसी अपरिहार्य कारणवश संबंधित पदाधिकारी अनुपस्थित रहते हैं तो उनके द्वारा अधिकृत पदाधिकारी शिकायतों की सुनवाई करेंगे। एक से अधिक कार्यालयों का प्रभार रखने वाले पदाधिकारी निर्धारित समय–सारिणी के अनुसार सभी कार्यालयों में उपस्थित रहेंगे। सभी कार्यालयों में आगंतुकों के बैठने, पेयजल एवं शौचालय की व्यवस्था सुनिश्चित करने तथा शिकायत पंजी संधारित कर उसके सतत अनुश्रवण का निर्देश दिया गया।

एग्री स्टैक व फार्मर रजिस्ट्री में तेजी

एग्री स्टैक परियोजना के तहत फार्मर रजिस्ट्री मेप्रगति लाने के लिए मिशन मोड में कार्य करने का निर्देश दिया गया। कृषि विभाग एवं राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग को आपसी समन्वय से कैंप आयोजित कर जमाबंदी के बकेट क्लेम एवं सत्यापन कार्य में तेजी लाने को कहा गया।

जनता दरबार व भूमि विवाद मामलों की समीक्षा

जिला जनता दरबार की समीक्षा के क्रम में सभी प्रखंड विकास पदाधिकारियों को वर्ष 2026 में प्राप्त शिकायतों का शत–प्रतिशत त्वरित निष्पादन सुनिश्चित करने तथा निष्पादन प्रतिवेदन गूगल डॉक पर अद्यतन करने का निर्देश दिया गया। वर्ष 2025 में भूमि विवाद से संबंधित 402 आवेदनों में से 380 का निष्पादन किया जा चुका है। लंबित मामलों को शीघ्र निष्पादित कर गूगल शीट में अद्यतन करने का निर्देश दिया गया। वर्ष 2026 में प्राप्त भूमि विवाद आवेदनों के त्वरित निस्तारण पर भी जोर दिया गया।

आधारभूत संरचना व सिंचाई व्यवस्था

तकनीकी पदाधिकारियों को सड़क, भवन, पुल–पुलिया निर्माण में संबंधित रैयतों से अनिवार्य रूप से एनओसी प्राप्त कर गुणवत्तापूर्ण कार्य सुनिश्चित करने का निर्देश दिया गया।

सामाजिक सुरक्षा योजनाओं का निष्पादन

सामाजिक सुरक्षा अंतर्गत मुख्यमंत्री अंतर्जातीय विवाह प्रोत्साहन अनुदान योजना, मुख्यमंत्री निःशक्तजन विवाह प्रोत्साहन योजना,राष्ट्रीय परिवार लाभ योजना, मुख्यमंत्री परिवार लाभ योजना एवं कबीर अंत्येष्टि अनुदान योजना से संबंधित लंबित मामलों के त्वरित निष्पादन के निर्देश दिए गए।

स्वास्थ्य, शिक्षा व पेयजल पर विशेष जोर

सिविल सर्जन को अस्पतालों में दवा उपलब्धता, चिकित्सकों की उपस्थिति का डिस्प्ले, एक्स–रे, ईसीजी, अल्ट्रासाउंड सहित जांच सुविधाएं सुनिश्चित करने तथा यूडीआईडी कार्ड निर्माण में प्रगति लाने का निर्देश दिया गया। जिला शिक्षा पदाधिकारी एवं प्रखंड विकास पदाधिकारियों को प्रत्येक प्रखंड में पांच 'सेंटर ऑफ एक्सीलेंस' के रूप में कुल 102 चिन्हित विद्यालयों में आधुनिक तकनीकी सुविधाएं विकसित कर शिक्षा स्तर में सुधार सुनिश्चित करने को कहा गया।लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग को गर्मी के मौसम को देखते हुए नल–जल योजनाओं की शिकायतों के त्वरित समाधान हेतु क्यूआरटी/मोबाइल वाहन की व्यवस्था करने तथा अतिरिक्त मोटर एवं मैकेनिक की उपलब्धता सुनिश्चित करने का निर्देश दिया गया।

लंबित न्यायिक मामलों के शीघ्र निष्पादन का निर्देश

सीडब्ल्यूजेसी, एमजेसी, एलपीए एवं मानवाधिकार से संबंधित लंबित मामलों के त्वरित निष्पादन पर जोर दिया गया। राजस्व विभाग को म्यूटेशन, परिमार्जन प्लस एवं ई–मापी कार्यों में प्रगति लाने का निर्देश दिया गया।

होली पर्व को लेकर सतर्कता

होली पर्व के मद्देनजर मद्य निषेध के तहत लगातार छापेमारी अभियान चलाने एवं नशीले पदार्थों पर विशेष निगरानी रखने का निर्देश सभी अनुमंडल पदाधिकारी, प्रखंड विकास पदाधिकारी, अंचलाधिकारी एवं थानाध्यक्ष को दिया गया। बैठक में उप विकास आयुक्त, नगर आयुक्त, अपर समाहर्ता, जिला लोक शिकायत निवारण पदाधिकारी, सभी अनुमंडल पदाधिकारी, जिला स्थापना उपसमाहर्ता, जिला आपूर्ति पदाधिकारी, नजारत उपसमाहर्ता, विशेष कार्य पदाधिकारी (गोपनीय शाखा), भूमि सुधार उपसमाहर्ता, आईटी मैनेजर, शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, आईसीडीएस विभाग के पदाधिकारी, संबंधित कार्यपालक अभियंता सहित सभी प्रखंड स्तरीय पदाधिकारी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जुड़े रहे।

किन्नरों की दबंगई से चिकित्सक व आमजन परेशान आईएमए प्रतिनिधिमंडल ने एसपी को सौंपा ज्ञापन

केशववाणी प्रेम सिंघानिया की रिपोर्ट। बिहारशरीफी (नालंदा)। शहर में किन्नरों द्वारा कथित दबंगई, जबरन पैसे की मांग और उत्पात की घटनाओं से चिकित्सकों सहित आमजन में असंतोष बढ़ रहा है। इसी मुद्दे को लेकर आईएमए (इंडियन मेडिकल एसोसिएशन) बिहारशरीफ के अध्यक्ष डॉ. अरुण कुमार, सचिव डॉ. अभिषेक सहित सदस्य डॉ. अरविंद कुमार सिन्हा, डॉ. सुनील कुमार, डॉ. गौरव पटनायक, डॉ. विजय कुमार का एक प्रतिनिधिमंडल सोमवार को आरक्षी अधीक्षक से मिला और कार्रवाई की मांग करते हुए ज्ञापन सौंपा।

आईएमए के पदाधिकारियों ने बताया कि हाल ही में बिहारशरीफ के एक निजी क्लीनिक में कथित रूप से किन्नरों द्वारा बख्शीश की अधिक रकम मांगने को लेकर विवाद हुआ, जिसके बाद क्लीनिक में तोड़फोड़ और मारपीट की घटना सामने आई।

इस घटना में क्लीनिक के कुछ कर्मचारियों को चोटें आने की बात कही गई है।**चिकित्सकों का कहना है कि इलाज के दौरान बड़ी संख्या में पहुंचकर मनमाने तरीके से पैसे की मांग करना और हंगामा करना स्वास्थ्य सेवाओं को प्रभावित कर रहा है। उनका आरोप है कि शहर के कई दुकानों और प्रतिष्ठानों में भी जबरन पैसे मांगने की शिकायतें मिल रही हैं, जिससे आम लोगों में भी भय और असुविधा की स्थिति बन रही है।**

आईएमए प्रतिनिधिमंडल ने आरक्षी अधीक्षक से इस तरह की घटनाओं पर प्रभावी रोक लगाने, दोषियों पर कानूनी कार्रवाई करने और चिकित्सकों व आम नागरिकों की सुरक्षा सुनिश्चित करने की मांग की है। पुलिस प्रशासन ने मामले को गंभीरता से लेते हुए उचित कार्रवाई का आश्वासन दिया है।

खेती होगी हाईटेक, मार्च तक खुलेंगे नालंदा में 19 कृषि यंत्र बैंक

केशववाणी गुड्डू कुमार की रिपोर्ट। बिहारशरीफी (नालंदा)। जिले के लघु और सीमांत किसानों के लिए अच्छी खबर है। अब उन्हें खेती के लिए लाखों रुपये खर्च कर ट्रैक्टर, हार्वेस्टर या थ्रेशर खरीदने की जरूरत नहीं पड़ेगी। वे अपनी जरूरत के हिसाब से खेती–बाड़ी में काम आने वाले यंत्र किराये पर ले सकेंगे। मार्च तक जिले में 19 कृषि यंत्र बैंक (कस्टम हायरिंग सेंटर) स्थापित किए जाएंगे। इनमें चार बैंक खुल भी चुके हैं। जबकि, शेष की प्रक्रिया अंतिम चरण में है। इसका सीधा मकसद खेती की लागत को कम करना और पैदावार बढ़ाना है। खास यह कि दो तरह के यंत्र बैंक खुलेंगे। इनमें 10 कस्टम हायरिंग सेंटर होंगे। यहां जुताई, बुवाई, कटाई, थ्रेसरिंग से लेकर अन्य यंत्र हा. ेंगे। जबकि, नौ स्पेशल कस्टम हायरिंग सेंटर बनेंगे। यहां खेती–बाड़ी में काम आने वाले आधुनिक यंत्रों के साथ ही फसल प्रबंधन के भी यंत्र किसानों के लिए उपलब्ध होंगे।

यंत्र खरीदने की प्रक्रिया चल रहीरू आठ सामान्य तो दो एससी वर्ग के किसानों का चयन कस्टम हायरिंग सेंटर के लिए होना है। समान्य कैटेगरी में चयनित किसानों को परमिट जारी कर दिया गया है। एक किसान ने यंत्र बैंक स्थापित कर दिया है। उन्हें अनुदान की राशि दे दी गयी है। पांच किसान यंत्रों की खरीद कर रहे हैं।

जबकि, रहुई और बिंद के दो लाभुकों ने केंद्र खोलने से इंकार कर दिया है। अब प्रतीक्षा सूची में रहे आवेदकों को मौका दिया जाएगा। हालांकि, एससी वर्ग में अबतक एक भी आवेदन नहीं मिला है। वहीं, स्पेशल कस्टम हायरिंग सेंटर का संचालन सात सामान्य तो दो एसटी कैटेगरी के किसान करेंगे। अबतक तीन किसान सेंटर स्थापित कर दिये हैं और उन्हें अनुदान भी मिल चुका है।

4 और 12 लाख का अनुदान रू कस्टम हायरिंग सेंटर की लागत 10 लाख तय की गयी है। इसपर अधिकतम चार का अनुदान लाभुक किसान को मिलना है। जबकि, स्पेशल कस्टम हायरिंग सेंटर की लागत 20 लाख आएगी। अधिकतम 12 लाख का अनुदान देने का प्रावधान किया गया है।

कृषि यंत्र बैंक खोलने की प्रक्रिया तेजी से चल रही है। चार बैंक अबतक खुल भी चुके है। शेष के लिए चयनि किसानों को जल्द से जल्द यंत्रों की खरीद करने को कहा गया है। मार्च तक सभी बैंक धरातल पर उतर जाएंगे। इससे लघु और सीमांत किसानों कई फायदे होंगे।

नालंदा में मैट्रिक परीक्षा की तैयारी पूरी: 45,324 परीक्षार्थी होंगे शामिल, 36 केंद्रों पर कड़ी निगरानी

केशववाणी । शंकर कुमार सिन्हा की रिपोर्ट बिहार शरीफ (नालंदा)। आगामी 17 से 25 फरवरी 2026 तक आयोजित होने वाली मैट्रिक परीक्षा को लेकर नालंदा जिला प्रशासन ने व्यापक तैयारियां पूरी कर ली हैं। परीक्षा को स्वच्छ, निष्पक्ष और कदाचारमुक्त वातावरण में संपन्न कराने के उद्देश्य से अपर समाहर्ता राजीव रंजन कुमार सिन्हा ने सभी केंद्राधीक्षकों को सख्त निर्देश जारी किए हैं। स्पष्ट किया गया है कि परीक्षा समिति द्वारा निर्धारित नियमों का शत–प्रतिशत अनुपालन सुनिश्चित किया जाए, अन्यथा लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी।

इस वर्ष जिले से कुल 45,324 परीक्षार्थी मैट्रिक परीक्षा में शामिल होंगे। इनमें 22,666 छात्र और 22,658 छात्राएं हैं। परीक्षार्थियों के लिए जिले में कुल 36 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं। इनमें बिहारशरीफ में 18, राजगीर में 9 तथा हिलसा में 9 केंद्र शामिल हैं। छात्राओं की सुविधा को ध्यान में रखते हुए 15 केंद्र केवल छात्राओं के लिए तथा 21 केंद्र छात्रों के लिए निर्धारित किए गए हैं। सभी परीक्षा कक्षों में पर्याप्त रोशनी और आवश्यक बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध कराने के निर्देश दिए गए हैं। प्रशासन ने इस बार भी जूता–मोजा पहनकर परीक्षा केंद्र पर आने पर पूर्ण प्रतिबंध लगाया है। परीक्षार्थियों को केवल चप्पल पहनकर ही प्रवेश की अनुमति होगी। प्रवेश समय को लेकर भी कड़े निर्देश जारी किए गए हैं। पहली पाली की परीक्षा सुबह 9:30 बजे से शुरू होगी, जिसके लिए सुबह 9:00 बजे तक ही प्रवेश मिल. `गा। दूसरी पाली दोपहर 2:00 बजे से प्रारंभ होगी, जिसमें दोपहर 1रू30 बजे के बाद किसी भी परीक्षार्थी को प्रवेश नहीं दिया जाएगा। देर से आने वाले छात्रों को किसी भी परिस्थिति में परीक्षा भवन में प्रवेश की अनुमति नहीं होगी।

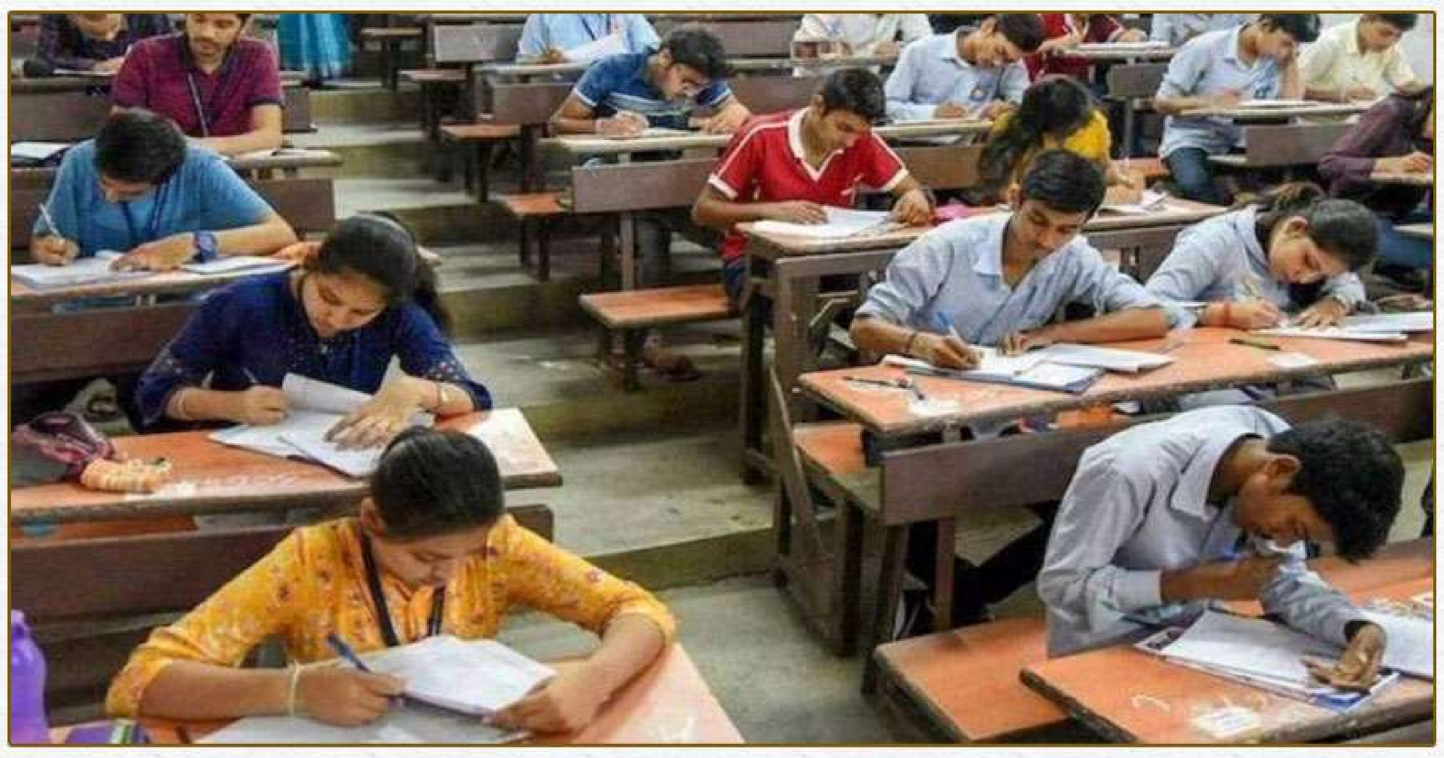

परीक्षा केंद्रों पर किसी भी प्रकार के इलेक्ट्रॉनिक उपकरण ले जाने पर सख्त प्रतिबंध रहेगा। केंद्राधीक्षक को छोड़कर किसी भी वीक्षक या प्रतिनियुक्त कर्मी को मोबाइल रखने की अनुमति नहीं होगी। सभी परीक्षा केंद्रों के 500 मीटर के दायरे में भारतीय दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 163 के तहत निषेधाज्ञा लागू की गई है। केंद्रों पर सीसीटीवी कैमरे और सतत वीडियोग्राफी की व्यवस्था भी सुनिश्चित की गई है। परीक्षार्थियों की प्रवेश के समय सघन जांच की जाएगी। महिला परीक्षार्थियों की जांच के लिए महिला दंडाधिकारी एवं महिला पुलिस बल की विशेष तैनाती की गई है। कदाचारमुक्त परीक्षा सुनिश्चित करने के लिए जिले में 77 स्टैटिक दंडाधिकारी, 17 गश्ती दल, 8 जोनल (उड़नदस्ता) तथा 6 सुपर जोनल दंडाधिकारी तैनात किए गए हैं। ये सभी अधिकारी लगातार परीक्षा केंद्रों का निरीक्षण करेंगे और अपनी टिप्पणी पंजी में दर्ज कर जिलाधिकारी को दैनिक प्रतिवेदन सौंपेंगे। वीक्षकों की प्रतिनियुक्ति रेंडमाइजेशन प्रक्रिया के आधार पर की गई है और सभी को पहचान पत्र जारी किए जाएंगे। केंद्रों के शौचालयों की भी विशेष जांच के निर्देश दिए गए हैं, ताकि नकल सामग्री छिपाने की कोई संभावना न रहे। परीक्षा केंद्रों के भीतर और आसपास के क्षेत्रों पर भी प्रशासन की पैनी नजर रहेगी। अपर समाहर्ता ने परीक्षा केंद्रों के आसपास स्थित फोटोस्टेट, स्टेशनरी दुकानों और कोचिंग संस्थानों की गतिविधियों पर विशेष निगरानी रखने का निर्देश दिया है। परीक्षार्थियों की समस्याओं के समाधान हेतु जिलास्तरीय नियंत्रण कक्ष स्थापित किया गया है, जिसका टोल फ्री नंबर 18003456323 लगातार सक्रिय रहेगा। वहीं, बिहारशरीफ शहर में परीक्षा के दौरान यातायात व्यवस्था सुचारु बनाए रखने की जिम्मेदारी यातायात पुलिस उपाधीक्षक को सौंपी गई है, ताकि जाम की स्थिति उत्पन्न न हो और परीक्षार्थियों को किसी प्रकार की असुविधा का सामना न करना पड़े।

सिलाव बायपास पर दर्दनाक हादसा- ट्रक की चपेट में आए दो बाइक सवार, गंभीर घायल

केशववाणी। सिलाव (नालंदा)। जिले से एक बड़ी खबर सामने आ रही है। सिलाव बायपास पर थाना मार्ग चौराहे के समीप सड़क अतिक्रमण के बीच एक तेज रफ्तार ट्रक की चपेट में आने से बाइक सवार दो लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। हादसे के बाद इलाके में अफरा–तफरी मच गई। घायलों की पहचान सिलाव थाना क्षेत्र के डुमरी गांव निवासी 62 वर्षीय कैलाश पासवान तथा इस्लामपुर थाना क्षेत्र के चनहरिया निवासी 55 वर्षीय अशोक कुमार वर्मा के रूप में की गई है। दोनों किसी काम से जा रहे थे, तभी ट्रक ने उन्हें कुचल दिया। स्थानीय लोगों की मदद से दोनों घायलों को तुरंत इलाज के लिए अस्पताल भेजा गया। चिकित्सकों के अनुसार उनकी स्थिति गंभीर बनी हुई है।घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और ट्रक को जब्त कर लिया। मामले की जांच शुरू कर दी गई है। प्रारंभिक जानकारी के अनुसार सड़क पर अतिक्रमण के कारण यातायात बाधित रहता है, जिससे दुर्घटना की आशंका बनी रहती है। पुलिस ने बताया कि आगे की कार्रवाई की जा रही है तथा चालक की पहचान कर कानूनी कदम उठाए जाएंगे।